पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 903/अका./का.प./2005 रायपुर, दिनांक : 27.04.2005

विश्वविद्यालय कार्य परिषद की आपात बैठक बुधवार, दिनांक 27 अप्रैल, 2005 को सायं 5:00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. बी. पी. चन्द्रा, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	प्रो. ओ. पी. वर्मा, कुलाधिसचिव	-	सदस्य
3.	श्री राम सुन्दर दास, विधायक	-	सदस्य
4.	प्रो. एच.व्ही. तिवारी	-	सदस्य
5.	प्रो. एम. ए. खान	-	सदस्य
6.	डॉ. जी. डी. साव	-	सदस्य
7.	श्री शंकर राव ब्रम्हणे	-	सदस्य
8.	श्री के. के. चन्द्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

डॉ. (श्रीमती) इंदिरा मिश्र, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, प्रो. पी. सी. उपाध्याय,अध्यक्ष, निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग एवं प्रो. यू. एस. पाठक, सदस्य, निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग कार्य परिषद में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित हुए।

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने विशेष आमंत्रित सदस्यों की कार्य परिषद में उपस्थिति के लिए स्वागत किया, तद्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

विषय क्र.1 : विद्या परिषद की स्थायी समिति की बुधवार, दिनांक 27 अप्रैल, 2005 को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसाओं के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :-

(1) परिनियम क्रमांक 27 (ए) एवं समन्वय समिति की आपात बैठक दिनांक 23.04.2005 के अन्तर्गत विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.04.2005 की अनुशंसानुसार सम्बन्धित संस्थाओं को उन पाठ्यक्रमों के लिये जिसमें किसी केन्द्रीय विनियामक अभिकरणों के अनुमति की अनिवार्यता नहीं है, उन्हें अस्थायी सम्बद्धता की अनुमति दी गई तथा उन पाठ्यक्रमों के लिये जिसमें किसी केन्द्रीय विनियामक अभिकरणों के अनुमति की अनिवार्यता है, उन्हें सशर्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

(2) स्थायी समिति के निर्णय में निम्नानुसार संशोधन शामिल किया जावे :-

(अ) सम्बन्धित संस्थाओं को, जिन पाठ्यक्रमों के लिए केन्द्रीय विनियामक अभिकरण से अनुमति की अनिवार्यता है, उन्हें केन्द्रीय विनियामक अभिकरण से अनुमति लाना होगा।

...02

(ब) सम्बन्धित संस्थाओं को, जिन पाठ्यक्रमों के लिए राज्य शासन से अनुमति की अनिवार्यता है, उन्हें शासन से अनुमति लाना होगा।

(3) उन्हीं उपाधियों को मान्य किया जावे, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नामावली के अनुरुप हों।

(4) जिन संस्थाओं द्वारा उपरोक्त अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उन संस्थाओं पर विश्वविद्यालय द्वारा परिनियम 27 (ए) की कण्डिका 11 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव

पृ.क्रमांक : 904 /अका./का.प./2005

रायपुर, दिनांक : 27.04.2005

प्रतिलिपि :-

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को।
3. विशेष आमंत्रित सदस्यों को।
4. वित्ताधिकारी/ सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षक,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहाकय, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कुलसचिव